क्रमांक :31   दिनांक :- 17/5/24

प्रेषक :-प्रभारी अधिकारी (अभिलेख शाखा)
जिला एवं सेशन न्यायालय,
जयपुर महानगर-द्वितीय

प्रेषिति:-समस्त न्यायालय
जिला एवं सेशन न्यायालय,
जयपुर महानगर-द्वितीय
(जरिये ई -मेल)

:-समस्त न्यायालय
जिला एवं सेशन न्यायालय,
जयपुर महानगर-प्रथम
(जरिये ई -मेल)

विषयः- अभिलेखागार में जमा फेसलशुदा पत्रावलियां अपीलीय न्यायालयों में वांछित होने पर केन्द्रीय अभिलेखागार जयपुर महानगर द्वितीय से अविलंब मगवाये जाने बाबत्।

महोदय,

विषयान्तर्गत सादर निवेदन है कि श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय जयपुर महानगर द्वितीय द्वारा दिनांक 09.05.2024 को केन्द्रीय अभिलेखागार जयपुर महानगर द्वितीय के निरीक्षण उपरांत जारी पत्र क्रमांक 2560 दिनांक 09.05.2024 द्वारा श्रीमानजी ने विभिन्न न्यायालयों में बकाया रिकॉर्ड जो जमा नहीं हो पा रहा है के संबंध में एवं तलफी योग्य रिकॉर्ड को नियामानुसार तलफ करने बाबत् आवश्यक कार्यवाही अमल में लाये जाने हेतु अधोहस्ताक्षरकर्ता को निदेर्शित किया है।

पूर्व में अभिलेखागार में सभी न्यायालयों का रिकॉर्ड जमा किया गया है, किंतु अब स्थानाभाव , रिकॉर्ड रखने हेतु रैक्स उपलब्ध नहीं होने एवं डिजिटलीकरण प्रारभं नहीं होने से माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय के निर्देशानुसार तलफी योग्य रिकॉर्ड को सामान्य नियम (दीवानी एवं दाण्डिक) 2018 के आदेश -42 के उप नियम 6(घ) अस्थायी उपबंध के तहत तलफ किया जाना प्रस्तावित है।

प्रायः यह देखा गया है कि अपीलीय न्यायालयों ,यथा माननीय राज.उच्च न्यायालय/ जयपुर महानगर की अपीलीय न्यायालयों में फौजदारी अपील/रिवीजन पेश होने पर अपीलीय न्यायालय द्वारा अविलंब संबिधित /वांछित अभिलेख नहीं मगवाया जाता अथवा अपीलीय न्यायालय द्वारा वांछित अभिलेख तलब किये जाने पर भी कईबार अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उक्त वांछित अभिलेखों को रिकॉर्ड से अबिलंब तलब कर अपीलीय न्यायालयों में नहीं भिजवाया जाता है। इसी प्रकार रिकॉर्ड जमा करवाते समय भी पत्रावली पर इस आशय का नोट अंकित नहीं किया जाता है कि प्रकरण में कोई अपील/रिवीजन लंबित है

चूंकि अभिलेखागार में जमा फेसल शुदा फौजदारी रिकॉर्ड की नियामानुसार तलफी सतत् क्रम में चलती रहती है।फैसलशुदा रिकॉर्ड जमा करवाते समय पत्रावली में अपील /रिवीजल या अन्य कोई कार्यवाही शेष /लंबित नहीं होने की सूचना के अभाव में रिकॉर्ड नियामानुसार तलफ कर दिया जाता है।

इसके अतिरिक्त सामान्य नियम (दीवानी एवं दाण्डिक) 2018 के आदेश –42 के नियम 2 के उपनियम (4), {ऐसे प्रकरणों में ,जिसमें मूल दस्तावेज दाण्डिक अभिलेख में दाखिल किये गये है, सबंधित न्यायालय रोकने की अवधि के अवसान पर , अभिलेख नष्ट करने के पूर्व न्यायालय की बेवसाइट पर इसमें यह कहते हुए एक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करेगा यथा अभिलेख का नष्ट करना एवं प्रश्नगत मूल दस्तावेज लौटाने के समस्त संबंधितों को बुलाते हुए यदि दस्तावेज का दावा नहीं किया जाता है, यह तदनानुसार नष्ट किया जायेगा। ऐसा सूचना पत्र न्यायालय के सहजदृश्य भाग पर भी चिपकाया जायेगा।} की पालना भी सुनिश्चित की जावे।

इस संबध में समस्त न्यायालयों से अपेक्षा की जाती है कि अभिलेखागार जयपुर महानगर द्वितीय में फेसलशुदा रिकॉर्ड जमा करवाते समय सामान्य नियम (दीवानी एवं दाण्डिक) 2018 के आदेश --42 के नियम 2 के उपनियम (4), की पालना पूर्ण रूप से की जावे तथा पत्रावली के मुख्य पृष्ठ व सूची पर नोट अंकित करवाया जावे की पत्रावली में कोई अपील / रिवीजन या अन्य कोई कार्यवाही शेष/लंबित नहीं है।

सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अपीलीय न्यायालय में अपील लंबित होने पर /अभिलेख तलब करने पर अभिलेखागार से तलविदा अभिलेख अविलंब मंगवाया जाकर अपीलीय न्यायालय में भिजवाया जावे।

चूंकि माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय द्वितीय के निर्देशानुसार रिकॉर्ड तलफ किये जाने की कार्यवाही की जानी है, अतः रिकॉर्ड शाखा में जमा ऐसी पत्रावलीयां ,जिनमें अपील/रिवीजन लंबित हो/मूल दस्तावेज संलग्न हो,को रिकॉर्ड शाखा से 7 दिवस की अवधि में मंगवाया जाना सुनिश्चित करने की कृपा करे। इस अवधि के उपरांत जमा रिकॉर्ड को तलफ किये जाने की कार्यवाही प्रारभ कर दी जावेगी।

भवदीय,

—Sd—
प्रभारी अधिकारी (अभिलेख शाखा)
जिला एवं सेशन न्यायालय, जयपुर महानगर–द्वितीय
{अपर जिला एवं सेशन न्यायालय क्रम–02 जयपुर महानगर द्वितीय}

क्रमांक–34 दिनांक– 17/5/24

प्रतिलिपि निम्न को सादर प्रेषित है:–

1-- श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय जयपुर महानगर द्वितीय एवं प्रथम को वास्ते आवश्यक कार्यवाही एवं अधीनस्थ/अपीलीय न्यायालयों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान करने हेतु।
2– सिस्टम मैनेजर, जिला एवं सेशन न्यायालय जयपुर महानगर द्वितीय एवं प्रथम को वास्ते ई–मेल/बेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

17.5.24
प्रभारी अधिकारी (अभिलेख शाखा)
जिला एवं सेशन न्यायालय, जयपुर महानगर–द्वितीय
{अपर जिला एवं सेशन न्यायालक्रम–02 जयपुरमहानगरद्वितीय}